**राजस्थान सरकार**
**राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन**
**चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**
**निदेशालय एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, सी–स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर**

**No. F. 20 (563 )/NRHM/HRD/2016/** 972 **Date:** 23-09-2016

निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय
राजस्थान, जयपुर।

**विषयः– ई–निविदा सूचना 01/2016–2017 प्रकाशित करने के संबंध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत निविदा नोट (समाचार पत्रों में प्रकाशन बाबत) की आठ प्रतियॉं व विस्तृत निविदा (DIPR की वेब साईट पर अपलोड करने बाबत) की दो प्रतियॉं संलग्न कर प्रकाशित कराने हेतु भिजवाई जा रही है। उक्त विज्ञापन को न्यूनतम साईज में एक बार राज्य सरकार के वर्गीकृत विज्ञापन प्रकाशन नियमों अनुसार प्रकाशित करवाने का श्रम करावें।

निविदा प्रकाशन की सूचना एवं बिल तीन प्रतियों में भुगतान हेतु प्रेषित करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

**(अंजू राजपाल)**
**परियोजना निदेशक**
**एनएचएम**

**No. F. 20 (563 )/NRHM/HRD/2016/** **Date:**

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–**

1. निजी सहायक, मिशन निदेशक, एनएचएम,जयपुर।
2. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनआरएचएम, जयपुर।
3. निदेशक, वित्त (एनएचएम), जयपरु।
4. संयुक्त निदेशक वित्त, एनएचएम, जयपुर ।
5. सहायक लेखाधिकारी (भुगतान) एनएचएम को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञापन का भुगतान पीआईपी 2016–17 के कार्यालय व्यय मद से प्रभार्य होगा।
6. नोटिस बोर्ड, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
7. सलाहकार–आई0टी0, एनएचएम, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञापन विभागीय वेब साईट एवं ई–प्रोक्यो. पर अपलोड करावें।
8. रक्षित पत्रावली।

**परियोजना निदेशक**
**एनएचएम**

# निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं

(एनआरएचएम) स्वास्थ्य भवन, सी–स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर

Date: 23-09-2016

No. F. 20 (563 )/NRHM/HRD/2016/ 973

## अल्पकालीन ई–बोली सूचना संख्या 01 / 2016–17

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मुख्यालय, जयपुर में कार्य व्यवस्था हेतु अवधि 01.11.2016 से 31.10.2017 तक के लिये सीनियर कार्यक्रम सहायक (1), कार्यक्रम सहायक (14), डाटा एण्ट्री आपरेटर (70) सहायक कर्मचारी (50) ,एवं वाहन चालको (7) की संविदा सेवाएँ उपलब्ध करवाने हेतु इच्छुक बोली दाताओं से ऑन लाईन द्विभागीय खुली बोली आमंत्रित की जाती हैः–

| क्र. सं. | कार्य का नाम | अनुमानित लागत | बोली प्रपत्र शुल्क | बोली प्रतिभूति राशि | बोली अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय | तकनीकी बोली खोलने की तिथि, समय एवं स्थान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | राज्य स्वास्थ्य समिति (एन.एच.एम.) राजस्थान, जयपुर के तहत विभिन्न शाखाओं / अनुभागो में सीनियर कार्यक्रम सहायक, कार्यक्रम सहायक, डाटा एण्ट्री आपरेटर, सपोर्ट स्टाफ (सहायक कर्मचारी) एवं वाहन चालकों की सेवाऐं उपलब्ध करवाना | 140.00 लाख | 1000.00 | 2.80 लाख | 13.10.2016 सायं 3.00 बजे तक | 14.10.2016 सायं 3.00 बजे कमरा नं0–214 द्वितीय तल, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर |

बोली के साथ बोली प्रतिभूति राशि रू0 2,80,000/– बोली प्रपत्र शुल्क राशि रू0 1000/– की डी.डी. राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी, जयपुर के नाम से देय होगीं एवं राशि रू0 1000/– की प्रोसेसिंग शुल्क का डीडी (जो एमडी आरआईएसएल के नाम से जयपुर में देय होगी) भी संलग्न करना होगा। बोली की विस्तृत शर्तें एवं सूचना http://sppp.rajasthan.gov.in, http://rajswasthya.nic.in पर दिनांक 27.10.2016 को देखी जा सकती है एवं http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर दिनांक 27.10.2016 को दोपहर 3.00 बजे से अपलोड की जा सकती है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक निविदा को इलैक्ट्रोनिक फारमेट में वेब साईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर अंतिम तिथि एवं नियत समय तक जमा करावें।

(अंजू राजपाल)
परियोजना निदेशक
एनआरएचएम

## ...रिंग के लिये निविदादाता हेतु आवश्यक निर्देश

1. इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्रों को इन्टरनेट साइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड (Download) कर सकते है।
2. इन निविदाओं में भाग लेने वाल निविदादाताओं को इन्टरनेट साइट पर http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाइन निविदा में भाग लेने के लिये डिजिटल सिगनेचर डिजिटल सर्टिफिकेट इन्फोरमेशन टेक्नोलोजी एक्ट–2000 के तहत प्राप्त करना होगा, जो इलैक्ट्रोनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सीसीए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, उनको नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नही है।
3. निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नही होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नही किये जावेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नही होंगे।
4. ऑन लाइन निविदायें निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोली जावेंगी।
5. इलैक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवें कि निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गयी है।
6. कोई भी निविदा इलैक्ट्रोनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाती है तो उसका जिम्मेदार विभाग नही होगा।
7. निविदा के प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।
8. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्रो के साथ निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि तथा आर.आई.एस.एल. के पक्ष में देय शुल्क के डिमाण्ड ड्राफट/बैंकर चैक के साथ रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं ब्रिक्री कर/सेवा कर चुकता का प्रमाण पत्र की प्रतियॉ वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना आवश्यक है। तथा उक्त दस्तावेज की भौतिक प्रतियॉ आवश्यक रूप से निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं आर.आई.एस.एल. के पक्ष में देय शुल्क के साथ नियत तिथि दिनांक 13.10.2016 को दोपहर 12.00 बजे तक विभाग में जमा करानी होगी।
9. तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोलने की सूचना निविदादाताओं को ई–मेल से दी जावेगी। निविदा की समस्त प्रकिया ऑन लाईन होगी।

(अंजू राजपाल)
परियोजना निदेशक
एनआरएचएम

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
निदेशालय एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, सी–स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर

No. F. 20 (563 )/NRHM/HRD/2016/ 974 Date: 23-09-16

# अल्पकालीन ई–निविदा सूचना संख्या 01/2016–17

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति (एन.एच.एम.) राजस्थान, जयपुर मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं/अनुभागो में सीनियर कार्यक्रम सहायक, कार्यक्रम सहायक, सहायक कर्मचारी, डाटा एण्ट्री आपरेटर एवं वाहन चालकों की सेवाएँ एक वर्ष के लिये सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से लेने वास्ते पंजीकृत एजन्सीयों से निर्धारित प्रपत्र में निविदा की अनुमानित लागत राशि 140.00 लाख की सेवाओं हेतु ई–प्रोक्यूरमेन्ट निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण DIPR की वेब साईट www.dipronline.org, http://eproc.rajasthan.gov.in एवं विभागीय वेबसाईट http://rajswasthya.nic.in पर देखा जा सकता है।

(अंजू राजपाल)
परियोजना निदेशक
एनएचएम

# राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति (एनएचएम), राजस्थान जयपुर
# द्वितीय तल, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
# सी–स्कीम, जयपुर–302005

## (अल्पकालीन ई–बोली सूचना संख्या 01/2016–17)

राज्य स्वास्थ्य समिति (एन.एच.एम.) राजस्थान, जयपुर के तहत विभिन्न शाखाओं/अनुभागो में सीनियर कार्यक्रम सहायक, कार्यक्रम सहायक, सहायक कर्मचारी, डाटा एण्ट्री आपरेटर एवं वाहन चालकों की सेवाऐं उपलब्ध करवाना

अनुमानित लागत

**राशि रू. 140.00 लाख**

**परियोजना निदेशक, एनएचएम,**

**कमरा नं0–214, द्वितीय तल, स्वास्थ्य भवन,**

**तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर**

**दूरभाष नं. 0141–2220289**



SO-HR

# राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति (एनएचएम), राजस्थान जयपुर

## द्वितीय तल, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,

## सी–स्कीम, जयपुर–302005

**कार्य का नाम :– राज्य स्वास्थ्य समिति (एन.एच.एम.) राजस्थान, मुख्यालय, जयपुर, के तहत विभिन्न शाखाओं/अनुभागो में सीनियर कार्यकम सहायक, कार्यकम सहायक, डाटा एण्ट्री आपरेटर, सपोर्ट स्टाफ (सहायक कर्मचारी) एवं वाहन चालकों की सेवाऐं उपलब्ध करवाना**

**तकनीकी बोली प्रपत्र–1**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | बोली आमंत्रित करने वाला विभाग | राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति (एनएचएम), जयपुर |
| 2 | बोली का संदर्भ | अल्पकालीन बोली सूचना संख्याः– 01/2016–17 |
| 3 | बोली के अधीन कार्य का विवरण | राज्य स्वास्थ्य समिति (एन.एच.एम.) राजस्थान, जयपुर के तहत विभिन्न शाखाओं/अनुभागो में सीनियर कार्यकम सहायक, कार्यकम सहायक, सहायक कर्मचारी, डाटा एण्ट्री आपरेटर एवं वाहन चालकों की सेवाऐं उपलब्ध करवाना बोली के **प्रपत्र संख्या – 04** के अनुसार। |
| 4 | बोली प्राप्त करने वाला अधिकारी | परियोजना निदेशक, एनआरएचएम, जयपुर |
| 5 | बोली अपलोड करने की अंतिम दिनांक व समय | 13.10.2016, 3.00 P.M. *(बोली प्रपत्र शुल्क, RISL फीस एवं अमानत राशि का डी.डी. दिनांक 13.10.2016 को दोपहर 12.00 बजे तक भौतिक रूप से विभाग में जमा कराना आवश्यक होगा उसके बाद डी.डी. प्रस्तुत करने बाले बोलीदाताओं की तकनीकी बोली नही खोली जावेगी)* |
| 6 | तकनीकी बोली खोलने का दिनांक, समय व स्थान | 14.10.2016, सायं 3.00 P.M. कमरा नं0 214, द्वितीय तल, स्वास्थ्य भवन, मुख्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर |
| 7 | बोलीदाता ठेकेदार/संस्था का विवरण | नाम: <br>पता कार्यालय: <br>टेलीफोन: <br>मोबाईल नं.: <br>प्राधिकृत व्यक्ति का नाम/पदनाम: |
| 8. | बोली प्रपत्र शुल्क राशि 1000/– रूपये जमा कराने का विवरण (डिमान्ड ड्राफ्ट **राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसाइटी**, जयपुर के नाम से होना चाहिये) | डिमान्ड ड्राफ्ट की फोटो प्रति संलग्न करें |
| 9. | बिड प्रोसेसिंग फीस का 1000/–जमा कराने का विवरण (डिमान्ड ड्राफ्ट MD, RISL के नाम से होना चाहिये) | डिमान्ड ड्राफ्ट की फोटो प्रति संलग्न करें |

| | | |
|---|---|---|
| 10 | बोली अमानत राशि रूपये – जमा कराने का विवरण (डिमान्ड ड्राफ्ट **राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसाइटी**, जयपुर के नाम से होना चाहिये) | डिमान्ड ड्राफ्ट की फोटो प्रति संलग्न करें |
| 11 | क्या बोलीदाता फर्म/संस्था पंजीकृत है ? | |
| | यदि हां तो ........ | |
| | पंजीयन क्रमांक व दिनांक | |
| | पंजीयक कार्यालय/प्राधिकारी | |
| | विधि, जिसके तहत पंजीकृत है | |
| | पंजीयन की वैधता समाप्ति दिनांक | |
| 12 | गत तीन वर्षों (2013–14, 2014–15, 2015–16) में विभिन्न कार्मिको की सेवाएँ उपलब्ध कराने का औसत अनुभव प्रति वर्ष 75.00 लाख से कम नहीं होना चाहिए। पुष्टि के लिये कार्यादेश एवं कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें। | गत तीन वर्षों (2013–14, 2014–15, 2015–16) में प्रतिवर्ष राजकीय विभागों/निगमों एवं अन्य पंजीकृत ट्रस्ट/संस्थाओं के द्वारा कम से कम 50 डाटा एण्ट्री आपरेटर (मैन विद मशीन), 50 सपोर्ट स्टाफ एवं अन्य तकनीकी कर्मियों का प्रत्येक का कम से कम एक एकल कार्यादेश जारी होना चाहिये। कार्यादेश/ कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें। |
| 13 | श्रम विभाग द्वारा जारी लाईसेन्स का विवरण एवं वैधता तिथि | प्रमाण पत्र संलग्न करें। |
| 14 | पैन (PAN) नम्बर | प्रमाण पत्र संलग्न करें। |
| 15 | सेवाकर पंजीयन नम्बर | प्रमाण पत्र संलग्न करें। |
| 16. | मैनपावर कार्य का ISO प्रमाण पत्र | प्रमाण पत्र संलग्न करें। |
| 17. | ESI/EPF का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र | प्रमाण पत्र संलग्न करें। |
| 18 | राजकीय विभागों/निगमों एवं अन्य पंजीकृत ट्रस्ट/संस्थाओं में कार्मिको की सेवाए उपलब्ध कराने के कार्य का पिछले 3 वर्षों (2013–14, 2014–15 एवं 2015–16) में संतोषप्रद अनुभव का दस्तावेज/सबूत (Proof) जो संबंधित संस्थान के द्वारा जारी किया गया हो, इस स्तर का हो कि उक्त वर्षो के दौरान उसके द्वारा उपलब्ध कराई गयी सेवाओं की कुल औसत राशि 75.00 लाख वार्षिक से कम नहीं हो (प्रमाण पत्र बोलीदाता फर्म के नाम से ही होना चाहिये) इसके साथ ही गत तीन वित्तीय वर्षों में सेवाए उपलब्ध कराने के कार्य का औसत टर्न ओवर प्रतिवर्ष 75.00 लाख होने के संबंध में सनदी लेखाकार का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 का आयकर विवरणी पत्र भी संलग्न करें। | |
| 19. | कार्य हेतु उपलब्ध मशीन एवं कार्मिको की सूची संलग्न करे। | |

**बोलीदाता द्वारा घोषणाः–**

20. यह कि मैं/हम (नाम) .................................. परियोजना निदेशक, एनआरएचएम, जयपुर द्वारा प्रकाशित अल्पकालीन ई–बोली सूचना संख्या 01/2016–17 दिनांक ......................के प्रत्युत्तर के बोली में वर्णित सेवाए उपलब्ध कराने के लिये एतद्द्वारा तकनीकी बोली प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैं। तकनीकी बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेज/प्रपत्र भी प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैं:–

(1) बोली प्रपत्र शुल्क राशि 1000/– रूपये जमा कराने का विवरण — पृष्ठ संख्या ...............
(2) बिड प्रोसेसिंग फीस का 1000/–जमा कराने का विवरण — पृष्ठ संख्या ...............
(3) बोली अमानत राशि रूपये 2,80,000/– जमा कराने का विवरण — पृष्ठ संख्या ...............
(4) बोलीदाता फर्म/संस्था के पंजीकरण का विवरण — पृष्ठ संख्या
(5) पिछले 3 वर्षो (2013–14, 2014–15 एवं 2015–16) में सेवाएँ उपलब्धता का कार्य का अनुभव — पृष्ठ संख्या ...............
(6) श्रम विभाग द्वारा जारी लाईसेन्स का विवरण एवं वैधता तिथि — पृष्ठ संख्या ............
(7) पैन (PAN) नम्बर — पृष्ठ संख्या
(8) सेवाकर पंजीयन का विवरण — पृष्ठ संख्या ...............
(9) मैनपावर कार्य का ISO प्रमाण पत्र — पृष्ठ संख्या ...............
(10) ESI/EPF का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र — पृष्ठ संख्या ...............
(11) अनुभव प्रमाण पत्र तकनीकी बिन्दु संख्या 18 के क्रम मे. — पृष्ठ संख्या ...............
(12) सनदी लेखाकार का प्रमाण–पत्र — पृष्ठ संख्या ...............
(13) गत 3 वित्तीय वर्षो के आयकर विवरण पत्र — पृष्ठ संख्या ...............
(14) कार्य हेतु उपलब्ध मशीन एवं कार्मिकों की सूची — पृष्ठ संख्या ...............

22. यह कि इस बोली के संबंध में विशिष्ठ शर्ते प्रपत्र संख्या– 3 मेरे/हमारे द्वारा अच्छी तरह से पढ़ व समझ लिया है, जिसके प्रमाण स्वरूप इस शर्त प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। मैं/हम उन शर्तों की पालना करने के लिए वचनबद्ध हूँ/हैं।

23. यह है कि इस बोली के तहत अनुबन्ध होने से पूर्व मेरे द्वारा श्रम विभाग के सक्षम अधिकारी से श्रमिक ठेका लाइसेंस लेना होगा, उतनी संख्या में श्रमिकों का सामूहिक बीमा मेरे/हमारे द्वारा कराया जावेगा।

24. मुझे/हमें जानकारी है कि तकनीकी बोलीं के परीक्षण के दौरान सेवाओं की अवधारणा, बोली में वर्णित सेवाओं की व्यवस्था तथा इस बोली के तहत अन्य कार्यो बाबत कार्य योजना, उपलब्ध संसाधन अनुभव आदि के संबंध में प्रस्तुतीकरण करने के लिये भी मुझे/हमें बुलाया जा सकता है। अगर इस प्रकार बुलाया गया तो दिनांक 3.10.2016 को सायं 3.00 बजे परियोजना निदेशक, एनआरएचएम के कक्ष में (प्री बिड) उपस्थित हो कर मैं/हम ऐसा प्रस्तुतीकरण करने को तैयार हैं, जिसके लिये आवश्यक उपकरणों आदि की निःशुल्क व्यवस्था मेरे द्वारा की जावेगी।

25. यह कि मेरी/हमारी तरफ से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं रखी गई है।

नोटः– तकनीकी बोली में उपरोक्त बिन्दु संख्या ***7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 एवं 19*** तकनीकी बोली के मूल्यांकन की अनिवार्य शर्ते है, जिनके आधार पर बोलीदाता संस्था/ठेकेदार की पात्रता का निर्णय किया जावेगा।

| | |
|---|---|
| **बोलीदाता के हस्ताक्षर** | |
| **दिनांक** | |
| **ठेकेदार/संस्था का नाम** | |
| **संस्था की स्थिति में हस्ताक्षर करने वाले का नाम व पदनाम** | |
| **दूरभाष संख्या (कोड सहित)**<br>**मोबाईल फोन नम्बर** | |

प्रपत्र संख्या 3

# राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति (एनएचएम), राजस्थान जयपुर
# द्वितीय तल, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
# सी–स्कीम, जयपुर–302005

1. राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति (एनएचएम) जयपुर द्वारा जारी बोली प्रपत्र के निम्न प्रकार 4 भाग हैं:–

 (1) तकनीकी बोली प्रपत्र– 1

 (2) वित्तीय बोली प्रपत्र – 2

 (3) बोली प्रपत्र – 3

 (4) कार्य क्षेत्र प्रपत्र – 4

2. बोली प्रस्तुत करने वाले इच्छुक ठेकेदार/संस्था द्वारा तकनीकी व वित्तीय दोनों प्रपत्र भरना अनिवार्य है।

3. तकनीकी बोली प्रपत्र – 1 ऑन लाईन प्रथम कवर में दस्तावेज सहित अपलोड करने होंगे। **RISL** प्रोसेसिंग फीस राशि रूपये 1000/–का डिमान्ड ड्राफ्ट जो **MD**, **RISL** के नाम से जयपुर में देय हो भी संलग्न करना होगा।

 3.1 बोली प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 1000/– एवं बोली प्रतिभूति राशि रूपये 2,80,000/– का जयपुर में भुगतान योग्य बैंकर्स चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसाइटी, जयपुर के नाम देय होगा।

 3.2 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर द्वारा जारी किये गये बोली प्रपत्र के साथ दिये गये बोली की विशेष शर्तों संबंधी **प्रपत्र – 3 एवं प्रपत्र – 4** ठेकेदार/संस्था द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षरशुदा होना आवश्यक है। अहस्तारक्षित प्रपत्रों की स्थिति में वित्तीय बोली का लिफाफा नहीं खोला जावेगा।

 3.3 राजकीय विभागों/निगमों एवं अन्य पंजीकृत ट्रस्ट/संस्थाओं में सेवाए उपलब्ध कराने का पिछले 3 वर्षों (2013–14, 2014–15 एवं 2015–16) में संतोषप्रद अनुभव का दस्तावेज/सबूत (**Proof**) जो संबंधित संस्थान के द्वारा जारी किया गया हो, इस स्तर का हो कि उक्त वर्षो के दौरान उपलब्ध कराई गई सेवाओं की कुल औसत राशि 75.00 लाख वार्षिक से कम नहीं हो (प्रमाण पत्र बोलीदाता फर्म के नाम से ही होना चाहिये) इसके साथ ही गत तीन वित्तीय वर्षों में उपलब्ध कराई गई सेवाओं के कार्य का औसत टर्न ओवर प्रतिवर्ष 75.00 लाख होने के संबंध में सनदी लेखाकार का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

 3.4 वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 का आयकर विवरणी पत्र संलग्न करें।

 3.5 बोली में वर्णित उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं हेतु ठेकेदार/संस्था के पास उपलब्ध मशीनों व अन्य उपकरणों की सूची, संख्या सहित तकनीकी बोली के बिन्दु संख्या–19 में प्रस्तुत की जावेगी।

4. वित्तीय बोली प्रपत्र में ऑन लाईन प्रस्तुत की जावेगी।

5. निर्धारित दिनांक व समय पर ऑन लाईन अपलोड की गई बोलियों को यथा सूचित स्थान/कार्यालय में उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोला जावेगा। प्रक्रिया के तहत सर्व प्रथम तकनीकी बोली को खोला जावेगा। इस हेतु गठित कमेटी/सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी बोलियों को परीक्षण किया जावेगा।

6. तकनीकी परीक्षण के दौरान सेवाओं की अवधारणा, बोली में वर्णित उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की व्यवस्था बाबत् कार्य योजना, बोलीदाताओं के उपलब्ध संसाधन व अनुभव आदि के संबंध में एक **प्रस्तुतीकरण (प्री बिड) दिनांक 3.10.2016 को सायं 3.00 बजे** परियोजना निदेशक, एनआरएचएम, जयपुर के कक्ष मे रखी है जिसमें बोलीदाता को स्वयं/अधिकृत प्रतिनिधी का उपस्थित होकर प्रस्तुतीकरण करना होगा, जिसके लिए सभी प्रकार की व्यवस्था बोलीदाता द्वारा स्वयं के खर्चे से की जावेगी।

7. बोलीदाता द्वारा तकनीकी बोली में दी गई सूचनाओं के सत्यापन हेतु तकनीकी परीक्षण की प्रक्रिया में समिति बोलीदाता के व्यावसायिक ठिकाने व अन्य समुचित स्थानों पर भी भौतिक सत्यापन कर सकती है।

8. तकनीकी बोली प्रपत्र–1 के बिन्दु संख्या *7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 एवं 19* की सूचनायें तकनीकी बोली के मूल्यांकन की अनिवार्य शर्तें है, जिनके आधार पर बोलीदाता संस्था/ठेकेदार की पात्रता का निर्णय किया जावेगा।

9. तकनीकी बोलियों के परीक्षण तथा यदि आवश्यक हुआ तो प्रस्तुतीकरण, भौतिक सत्यापन आदि के बाद केवल उन बोलीदाताओं के ही वित्तीय बोली के लिफाफे खोले जावेंगे, जो कि तकनीकी बोली परीक्षण/प्रस्तुतीकरण में सफल/उपयुक्त पाये जावेंगे। असफल/अनुपयुक्त बोलीदाताओं के वित्तीय बोलीयों के लिफाफे नहीं खोले जावेंगे।

10 तकनीकी बोली में सफल रहे बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली खोली जावेगी जिसका स्थान एवं तिथि तकनीकी बोली में सफल रहे बोलीदाताओं को पृथक से सूचित कर दिया जावेगा।

11. बोली में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त अन्य कोई शर्त बोलीदाता की स्वीकार नहीं होगी तथा मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर को किसी भी बोली को (न्यूनतम दर वाली बोली सहित) बिना किसी कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

12. बोली की वैधता 90 दिन के लिए होगी।

13. संवेदक द्वारा कार्य को सब–लेट (Sub-let) नही किया जायेगा।

15. सेवा प्रदाय एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराने जाने वाली मैनपावर अस्थायी होगी तथा ठेका अवधि समाप्त होने पर उसके द्वारा लगाये कर्मियों की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जावेगी। सेवाओं को किसी भी नियमित नियुक्ति एवं नियोजन के संबंध में कोई अधिकार नही होगा।

16. सेवा प्रदाय एजेन्सी द्वारा कार्य सम्पादन हेतु कार्यादेश में वर्णित संख्या में मैनपावर उपलब्ध करायी जावेगी। यदि किसी समय सेवा प्रदाय एजेन्सी द्वारा कार्यादेश अनुसार मैनपावर उपलब्ध नही करायी जाती है तो सेवा प्रदाय अनुबन्ध में अनुमोदित राशि के आधार पर कम उपलब्ध कराई गयी सेवाओं की अनुपस्थित अवधि की राशि की गणना कर आंकलित राशि की 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि शास्ति के रूप में बिल में से काटी जावेगी। सेवा प्रदाय एजेन्सी द्वारा वास्तव में उपलब्ध कराये गयी सेवाओं की उपस्थिति संबंधित प्रभारी/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने के उपरान्त ही भुगतान किया जावेगा। सेवा प्रदाय एजेन्सी द्वारा कम संख्या में सेवाऐं उपलब्ध कराने या सेवाऐं उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति

में अन्य सेवा प्रदाय एजेन्सी से सेवाऐं उपलब्ध कराने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा तथा सेवा प्रदाय एजेन्सी से उक्त सेवाओं के लिये निर्धारित दर से अधिक दरों पर की गई भुगतान की राशि वसूल की जावेगी।

17. श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानो के तहत कोई लाईसेन्स अथवा अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो तो वह सेवा प्रदाय एजेन्सी स्वयं के खर्चे पर प्राप्त कर प्रस्तुत करेगी। अपने कर्मकारो के कार्य दिवस, कार्य घण्टे दिये गये पारिश्रमिक इत्यादि की श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना व अन्य समस्त प्रकार के रिकार्ड को तैयार करने एवं तदुपरांत सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाय एजेन्सी की होगी तथा यह अभिलेख प्रतिमाह परियोजना निदेशक, एनआरएचएम, जयपुर के निरीक्षणार्थ प्रस्तुत किया जावेगा।

18. यदि सेवा प्रदाय एजेन्सी एवं उनकी सेवाओं के मध्य कोई विवाद होता है तो उसके निपटारे की जिम्मेदारी सेवा प्रदाय एजेन्सी की होगी। इस संबंध में विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा। नियोजित सेवाओं को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर ओद्यौगिक विवाद अधिनियम 1947 में निहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित कार्मिको को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस, वेतन, छटनी, मुआवजा आदि देने का दायित्व सेवा प्रदाय एजेन्सी का होगा।

19. सेवा प्रदाय एजेन्सी द्वारा नियोजित सेवाओं की कार्य के समय या कार्य समय के उपरान्त किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है या किसी भी रूप में अथवा दुर्घटना में धायल/अपंग हो जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति करने अथवा उसे मुआवजा आदि देने की समस्त जिम्मेदारी सेवा प्रदाय एजेन्सी की होगी। इसके लिए सरकार व विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

20. सेवा प्रदाय एजेन्सी को सेवाओं का नामवार उपस्थिति कार्ड, पी.एफ. खाता संख्या एवं ई.एस.आई. कार्ड उपलब्ध कराने होगे तथा सेवाओं का नामवार उपस्थिति रजिस्टर संधारण करना आवश्यक होगा।

21. संवेदक द्वारा प्रत्येक माह के लिए सेवाओं के मासिक पारिश्रमिक से सेवाओं की नामवार काटी गई पी. एफ., ई.एस.आई. तथा सर्विस टैक्स राशि के संबंध में इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिमाह देना होगा कि विगत माह में काटी गई पी.एफ., ई.एस.आई. की राशि तथा नियमानुसार देय सर्विस टैक्स की राशि का शत प्रतिशत भुगतान संबंधित विभागों को किया जा चुका है एवं इस मद में कोई राशि का भुगतान किया जाना शेष नही है। फर्म द्वारा सेवाओ को उनके पारिश्रमिक के भुगतान (जो निर्धारित श्रेणी की न्यूनतम मानदेय दरों से कम नही होगा) करने के साथ ही नियमानुसार पी.एफ., ई.एस.आई. एवं सर्विस टैक्स की राशि स्वयं के स्तर से जमा कराई जावेगी। इस संबंध में फर्म द्वारा विभाग के द्वारा मांगे जाने पर नामवार वांछित वैधानिक अभिलेख निरीक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना होगा। प्रस्तुत अभिलेख नामवार सेवाए स्पष्ट नहीं होने पर विभाग द्वारा कार्यादेश निरस्त किया जा सकेगा।

22. सेवा प्रदाय एजेन्सी द्वारा भुगतान हेतु प्रतिमाह का बिल आगामी माह के प्रथम सप्ताह में विभाग को प्रस्तुत किया जावेगा। विभाग द्वारा बोली/अनुबन्ध की समस्त शर्तों को दृष्टिगत रखकर बिल पारित किये जायेगें। पारित राशि में से नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर/प्रतिभूति राशि की कटौति कर शेष राशि का भुगतान फर्म को किया जावेगा।

23. न्यूनतम निविदादाता को कार्यादेश के सात दिवस में कार्यादेश राशि की 5 प्रतिशत राशि, प्रतिभूति राशि के रूप में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक अथवा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 75 में वर्णित अन्य प्रारूपों के माध्यम से जमा करानी होगी।

24. जो सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएगीं राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एन.एच.एम.) के कार्यालय में प्रातः 9:30 बजे उपस्थित होना होगा एवं सांयकाल 6:00 बजे तक या कार्य पूर्ण होने तक रुकना होगा।

25. सेवाओं हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्तियों को मिशन निदेशक एन.एच.एम एवं इनके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के निर्देशानुसार कार्यालय में कार्य करना होगा।

26. यदि सेवा संबन्धित कार्य हेतु सेवाओं की उक्त समय से पूर्व या पश्चात् अथवा राजपत्रित अवकाश के दिन आवश्यकता पड़ती हैं तो उन्हें तदानुसार उपस्थित होकर सेवा प्रदान करनी होगी। इसके लिए मिशन द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

27. सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों की सेवाओं का कार्य यदि संतोषजनक नहीं होगा तो मिशन निदेशक (एनएचएम) या उसके निर्दिष्ट अधिकारी के निर्देश पर सेवा आपूर्तिकर्त्ता संस्था को तत्काल उसके स्थान पर समकक्ष योग्यताधारी एवं अनुभवी अन्य व्यक्ति उपलब्ध कराना होगा।

28. सेवा आपूर्तिकर्त्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गए व्यक्तियों का चाल–चलन अच्छा होना चाहिए एवं उनके कार्य/चरित्र के संबंध में बोलीदाता पूर्ण उत्तरदायी होगा। उपलब्ध कराये गये कार्मिकों/व्यक्तियों को बोलीदाता द्वारा स्वयं के खर्चे पर आई.डी. देना होगा। ताकि मिशन को सेवाकर्मी के बारे में ज्ञान रहे। उपलब्ध सेवाओं के द्वारा किसी भी प्रकार का सरकारी सम्पत्ति का नुकसान करने की दशा में क्षतिपूर्ति बोलीदाता को करनी होगी।

29. बोलीदाता के अधिकृत प्रतिनिधि को जब कभी भी वार्ता हेतु कार्यालय बुलाया जाए तो उसे उपस्थित होना होगा। उपस्थित नहीं होने पर अनियमितता मानी जावेगी।

30. उपलब्ध कराई गई सेवाओं में से यदि किसी ने कोई अनियमितता की तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व बोलीदाता की होगी।

31. अनुबन्ध से पूर्व निविदादाता द्वारा सेवाओं के उक्त पदों हेतु उपयुक्त अभ्यार्थियों की सूची (योग्यता एवं अनुभव अंकित करते हुए ) प्रस्तुत करनी होगी। जिन व्यक्तियों हेतु एनएचएम द्वारा सहमति प्रदान की जाएगी उन व्यक्तियों की ही सेवाएं अनुबंधकर्त्ता द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

32. सेवा प्रदाय एजेन्सी द्वारा अपने कर्मकारों को नियमानुसार दिया जाने वाला पारिश्रमिक हर माह की 7 तारीख तक आवश्यक रूप से जमा कराया जावेगा, चाहे विभाग से किसी भी कारण से सेवा प्रदाय एजेन्सी को देरी से भुगतान प्राप्त क्यों न हो।

33. श्रम विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 17.03.2016 में उल्लेखित श्रम दरों से कम दरों की निविदा स्वीकार्य नही होगी इसके साथ ही ऋणात्मक अथवा शून्य सर्विस चार्ज वाली निविदाओं पर भी विचार नहीं किया जायेगा। शर्त सहित बोलियों को स्वीकार नही किया जावेगा। एक से अधिक फर्मों से समान न्यूनतम दर प्राप्त होने पर, किसी एक फर्म को अथवा एक से अधिक फर्मों को (आनुपातिक रूप से) कार्यादेश जारी करने का पूर्ण अधिकार विभाग में निहित होगा एवं सभी बोलीदाताओं को मान्य होगा।

34. किसी भी विभाग में ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

35. कार्य हेतु उपलब्ध करवाये जाने वाली समस्त सेवाओं का पुलिस वेरीफिकेशन करवाया जावेगा एवं विभाग द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही सेवा प्रदाय एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराई सेवाओं की योग्यता एवं दक्षता परीक्षण के उपरान्त योग्य सेवाओं को ही कार्य स्थल पर लगाया जायेगा। बोली दाता द्वारा उपलब्ध कराई गयी अयोग्य सेवाओं को कार्यस्थल पर लगाये जाने के लिये विभाग बाध्य नही होगा।

36. प्रस्तावित कार्य की निविदा अवधि एक वर्ष के लिए होगी जो फर्म एवं विभाग की सहमति से नियमानुसार बढ़ाई जा सकेगी।

37. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर का निर्णय अन्तिम व सभी को स्वीकार्य होगा। समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

38. उपलब्ध कराये जाने वाली सेवाओं के संबंध में समस्त श्रम कानूनों एवं अन्य संबंधित कानूनों की पालना व जहॉ आवश्यक हो भुगतान सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व पूर्णतः संवेदक का होगा।

39. विभाग की सम्पत्ति को हानि पहुँचाने पर विभाग द्वारा निर्धारित राशि ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

40. निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर को होगा तथा संविदा की शर्तो की पालना नहीं करने या सेवा उपलब्ध कराने में असमर्थ रहने की दशा में कार्यादेश निरस्त करते हुए जमा राशि जब्त कर ली जावेगी।

41. निविदा में अंकित सभी शर्ते एंव सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–II के एस.आर. प्रारूप 16 (नियम 68) की समस्त शर्ते भी लागू होगी।

42. उक्त सभी शर्तो को स्वीकार करने व सहमत होने के प्रमाण में निविदादाता द्वारा नीचे हस्ताक्षर किये गये है अर्थात सभी शर्ते निविदादाता को स्वीकार है।

43. वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.02.2013 के तहत निर्धारित Annexure-A, B, C & D की पूर्ति कर संलग्न करना होगा।

मैं/हम.................................................................................. उक्त शर्तो की पालना करने हेतु सहमत है।

**निविदादाता के हस्ताक्षर**

प्रपत्र– 4

## बोली के अधीन कार्य का विवरण

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन राज्य मुख्यालय, जयपुर में सेवाएँ निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है : आपूर्ति सेवाओं के कार्य का विवरण

| क्र. सं. | आपूर्ति की जाने वाली सेवा का नाम | अनुमानित कार्मिक | निर्धारित न्यूनतम योग्यता | वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु पीआइपी में अनुमोदित मासिक पारिश्रमिक राशि (सेवा शुल्क/सेवा कर/अन्य कर रहित) उक्त मानदेय में सेवाओं का व्यक्तिगत ईएसआई/ईपीएफ का अंशदान सम्मिलित है। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | सीनियर कार्यक्रम सहायक | 01 | स्नातक, कम्प्यूटर का ज्ञान (अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा में स्टैनो का कार्य) आशुलिपि में हिन्दी में 60 शब्द प्रति मिनिट एवं अग्रेंजी में 80 शब्द प्रति मिनिट की गति से लेखन की योग्यता व 2 वर्ष का किसी राजकीय/उपक्रम/निजी/बैकिंग संस्थान में कार्य का अनुभव। | 27615/– |
| 2 | कार्यक्रम सहायक | 14 | स्नातक, कम्प्यूटर का ज्ञान, 40 शब्द प्रति मिनिट की गति से हिन्दी एवं 60 शब्द प्रति मिनिट अग्रेंजी में टंकण करने की योग्यता व लिपिकीय कार्य का 2 वर्ष का किसी राजकीय/उपक्रम/निजी/बैकिंग संस्थान में कार्य का अनुभव। | 13230/– |
| 3 | डाटा एण्ट्री आपरेटर (मशीन विद मैन) | 70 | स्नातक, कम्प्यूटर का ज्ञान, 40 शब्द प्रति मिनिट की गति से हिन्दी एवं 60 शब्द प्रति मिनिट अग्रेंजी में टंकण करने की योग्यता एवं पत्रावली संधारण, कार्यालय कार्य का ज्ञान **(वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 1.7.2015 में वर्णित समस्त योग्यता, दक्षता एवं मशीन का प्रावधान लागू होगा)** | 8500/– |
| 4. | सपोर्ट स्टॉफ | 50 | आठवीं पास | 5843/– |
| 5 | वाहन चालक | 07 | 10वी पास, लाइट मोटर व्हीकल का वैध लाइसेंस सहित 03 वर्ष का वाहन चालन का कार्यानुभव | 8510/– |

**नोटः– उपरोक्तानुसार सेवाओं की संख्या में नियमानुसार कमी/बेशी की जा सकेगी।**

# वित्तीय बोली प्रपत्र

1. संवेदक का नाम ..................................................................................................
   एवं पता ..................................................................................................
   ..................................................................................................

2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मुख्यालय, जयपुर में मैनपावर सेवाओं की वित्तीय दरें निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

| सीनियर कार्यक्रम सहायक *(भारत सरकार द्वारा उक्त पद हेतु पीआईपी वर्ष 2016–17 में अनुमोदित राशि) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | विवरण | | | दर प्रति माह प्रति सेवा | |
| | | | | राशि अंको में | राशि शब्दों में |
| 1. | Rate for Senior Programme Assistant per Month (Inclusive contribution of ESI/EPF of employee) | | | *27615/– | |
| | | Contribution of Agency | Contribution of Employer | | |
| 2. | ESI | | | | |
| 3. | EPF | | | | |
| 4. | Service Charges | | | | |
| 5. | Service Tax will be Charged on total bill amount | | | | |
| 6. | Any other Charges (please specify) | | | | |
| 7. | Total | | | | |

| कार्यक्रम सहायक *(भारत सरकार द्वारा उक्त पद हेतु पीआईपी वर्ष 2016–17 में अनुमोदित राशि) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | विवरण | | | दर प्रति माह प्रति सेवा | |
| | | | | राशि अंको में | राशि शब्दों में |
| 1. | Rate for Programme Assistant per Month (Inclusive contribution of ESI/EPF of employee) | | | *13230/– | |
| | | Contribution of Agency | Contribution of Employer | | |
| 2. | ESI | | | | |
| 3. | EPF | | | | |
| 4. | Service Charges | | | | |
| 5. | Service Tax will be Charged on total bill amount | | | | |
| 6. | Any other Charges (please specify) | | | | |
| 7. | Total | | | | |

| **डाटा एण्ट्री आपरेटर** *(भारत सरकार द्वारा उक्त पद हेतु पीआईपी वर्ष 2016–17 में अनुमोदित राशि) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | विवरण | | दर प्रति माह प्रति सेवा | |
| | | | राशि अंको में | राशि शब्दों में |
| 1. | Rate for Data Entry Operator per Month (Inclusive contribution of ESI/EPF of employee) | | * 8500/– | |
| | Contribution of Agency | Contribution of Employer | | |
| 2. ESI | | | | |
| 3. EPF | | | | |
| 4. | Service Charges | | | |
| 5. | Service Tax will be Charged on total bill amount | | | |
| 6. | Any other Charges (please specify) | | | |
| 7. | Total | | | |

| **सपोर्ट स्टाफ** *(भारत सरकार द्वारा उक्त पद हेतु पीआईपी वर्ष 2016–17 में अनुमोदित राशि) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | विवरण | | दर प्रति माह प्रति सेवा | |
| | | | राशि अंको में | राशि शब्दों में |
| 1. | Rate for Support Staff per Month (Inclusive contribution of ESI/EPF of employee) | | *5843/– | |
| | Contribution of Agency | Contribution of Employer | | |
| 2. ESI | | | | |
| 3. EPF | | | | |
| 4. | Service Charges | | | |
| 5. | Service Tax will be Charged on total bill amount | | | |
| 6. | Any other Charges (please specify) | | | |
| 7. | Total | | | |

| **वाहन चालक** *(भारत सरकार द्वारा उक्त पद हेतु पीआईपी वर्ष 2016–17 में अनुमोदित राशि) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | विवरण | | दर प्रति माह प्रति सेवा | |
| | | | राशि अंको में | राशि शब्दों में |
| 1. | Rate for Driver per Month (Inclusive contribution of ESI/EPF of employee) | | *8510/– | |
| | Contribution of Agency | Contribution of Employer | | |
| 2. ESI | | | | |
| 3. EPF | | | | |
| 4. | Service Charges | | | |
| 5. | Service Tax will be Charged on total bill amount | | | |
| 6. | Any other Charges (please specify) | | | |
| 7. | Total | | | |

**संवेदक के हस्ताक्षर**

## Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

**Conflict of Interest:-**

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Doc1

# Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

**Declaration by the Bidder**

In relation to my/our Bid submitted to ………………………. for procurement of ………………………… in response to their Notice Inviting Bids No………….. Dated…………. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Doc1

## Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ____________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ____________

**(1) Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

**(4) Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

**(5) Form of Appeal**

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Doc1

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

**(6) Fee for filing appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

**(7) Procedure for disposal of appeal**

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

**FORM No. 1**
**[See rule 83]**

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012**

Appeal No .........of ...............
Before the .............................. (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. (Supported by an affidavit)
7. Prayer: ......................................................................................................................................................................................................................................................

Place ........................................
Date ........................................
Appellant's Signature

Doc I

## Annexure D : Additional Conditions of Contract

### 1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

### 2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

### 3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.